पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवर लाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : रा.शिक्षक संघ(राष्ट्रीय)/महामंत्री/112 दिनांक –28.05.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :– पे–मैनेजर पोर्टल पर वेतन कटौती के लिए किये गए संशोधन को वापस लेने एवं शिक्षको व कार्मिको के वेतन से स्वैछिक कटौती करने के आदेश पारित करवाकर राहत प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– दिनांक 28.05.2021 के दैनिक भास्कर बीकानेर समाचार पत्र में ''पे–मैनेजर में 3 से 5 दिन वेतन कटौती का संशोधन होने से कर्मचारियों में रोष'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में।

प्रसंग :– माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा दायर एसबी सिविल रीट पिटीशन संख्या.11605/2020 के निर्णय आदेश दिनांक 27.11.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में संगठन का निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा पेमेनेजर साफ्टवेयर में संशोधन कर शिक्षको व कार्मिको के मई माह के वेतन से 2 से 5 दिन के वेतन कटौती करने का बदलाव किया गया। कर्मचारियों व शिक्षको की बगैर स्वीकृति व सहमति के मनमानी से वेतन से कटौती करने इस तरह साफ्टवेयर में बदलाव कर वेतन कटौती की तैयारी करना अन्यायपूर्ण कदम है।

इस संबंध में संगठन द्वारा कोरोना प्रथम लहर के समय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रासंगिक रीट याचिका दायर की थी जिसके तहत माननीय न्यायालय ने वेतन कटौती जबरन नही करने एवं इसे केवल स्वेच्छिक कर सकने का निर्णय प्रदान किया था।बावजूद कोरोना की द्वितीय लहर में पुनः जबरन वेतन कटौती थोपी जाती है तो यह न्यायोचित् नहीं होगा।

यह कि शिक्षक हमेशा सेवाकार्य में तन, मन ,धन से अग्रणी रहे है। कोरोना की प्रथम व द्वितीय लहर में मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे रहे है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर शिक्षक स्वयं के खर्चे से ऑक्सीजन कंस्ट्रेक्टर मशीन, ऑक्सिमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सेनेटाइजर, गरीबों को भोजन सामग्री, अस्पताल के मरीजो को भोजन, पक्षियों के लिए सकोरे, गायों व पशुओं के लिए चारा, वृक्षारोपण इत्यादि उपलब्ध करवाकर सेवा कार्य कर रहे है। फिर भी कर्मचारियों व शिक्षकों की सहमति के बगैर वेतन कटौती थोपने पे–मैनेजर पोर्टल पर कटौती हेतु संशोधन करने की कार्यवाही की गई जिससे शिक्षकों में गहरा असंतोष व्याप्त है।

निवेदन है कि जहाँ शिक्षकों की ड्यूटियों व वारियर्स की बात है वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सालय, ग्राम पंचायत स्तर आदि समस्त विभागों के साथ शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे है। किन्तु प्रथम लहर के समय कुछ विभागों के कर्मचारियों को छोड़कर शिक्षकों व कार्मिकों का भेदभावपूर्ण तरीके से वेतन काटा गया। इसी प्रकार वैक्सीन लगवाने में भी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। बार–बार

विरोध के बाद हाल ही में टीकाकरण के आदेश जारी किए गए। ऐसे भेदभावपूर्ण व उपेक्षित व्यवहार को लेकर शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है।

यह कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2021 को ''कोविड मुख्यमंत्री रिलीफ कोष में जमा हुए 609.53 करोड़, खर्च महज 210.47 करोड़'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार कोविड–19 की प्रथम लहर के समय मुख्यमंत्री रिलीफ कोष में 609.5 करोड़ की सहायता राशि जमा हुई है जिसमें सबसे ज्यादा राशि 324.42 करोड़ रूपये कर्मचारियों के वेतन व पीडी खाते से प्राप्त हुई है। जबकि प्रथम लहर में महज 210.47 करोड़ राशि ही खर्च हुई है तथा 399 करोड़ रूपये बचत है। इसके बावजूद बिना आपातकाल घोषित किये पुनः वेतन कटौती करने की तैयारियां करना माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय की अवहेलना करना है। जिसका राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) पुरजोर विरोध करता है तथा मांग करता है कि पे–मैनेजर पोर्टल पर केवल स्वैच्छिक वेतन कटौती करने का बदलाव किया जावे।

संगठन का निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रासंगिक निर्णय की पालना में शिक्षकों व कार्मिकों के वेतन से जबरन वेतन कटौती के स्थान पर स्वैच्छिक करना ही समीचीन रहेगा। अतः पे–मैनेजर पोर्टल पर वेतन कटौती के लिए किए गए संशोधन को वापस लेने एवं शिक्षकों व कार्मिकों के वेतन से स्वैच्छिक कटौती करने के आदेश पारित करवाकर राहत प्रदान करावे।

भवदीय

(अरविंद व्यास)
महामंत्री

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(अरविंद व्यास)
महामंत्री